

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 100/2018
 एम 111-128 RTA

दिनांक:- 14-05-2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री इश्वरलाल पिवावने

जति मीन उम्र 45 नि० कराही तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत कराही दिनांक 14/5/18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०रे०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा कराही पंचायत समिति कीरडी में स्थित खाता संख्या 198 पर आराजी नं० 873 873 कुल 91 बीघा 91 बिस्वा कित्ता 1 योग रकबा 91 पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी रामलाल नि० कराही ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम कराही के खसरा नं० 874 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल कित्ता 1 योग रकबा 11 की जमाबंदी सम्वत् 2073-76 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा कराही में स्थित खाता संख्या 198 पर आराजी नं० 873 रकबा 91 कुल कित्ता 1 कुल रकबा 91 की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा कराही में स्थित खाता संख्या 198 पर आराजी नं० 873 रकबा 91 कुल कित्ता 1 कुल रकबा 91 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक रामलाल के नेतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 450/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर